

फर्द अहकाम
(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा

मुकाम मालाखेड़ा

रामोतार

बनाम

अमर सिंह

दाया

नं.

1/89

सन

2025

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम को तामील
में जारी हुआ

23/07/25 वकीलवादी के मुर्दानाफ़ पर पत्रावली
तलब की गई। वादी व वादी वकील ने वाद आगे
नहीं चलाते हुए इसी स्तर पर वाद No. 89
मेरवाबिज कराने का कथन किया।
वादी के हस्ताक्षर कराने वाले। वादी की पहचान
वकील वादी श्री तेजसिंह चौधरी ने की। अतः
वकील वादी के द्वारा वाद No. 89 कराने
पर वाद रवाबिज किया जाता है। फ़ावली फ़ैसल
दोकर नम्बर से कम हो। वाद पूर्ण उजागर व
गोप्य हो।

अमानत

23/7/25

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०